जया भारद्वाज

षड़यंत्र का अगला मोहरा, जया भारद्वाज (45 साल) को आगे बढ़ाया गया और एक बलात्कार का झूठा आरोप ता.17-04-1998 को कंपिल थाने में दर्ज कराया गया, ताकि भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित जेल के अंदर ही आशाराम बापू की तरह सड़ते रहें। भले भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित को 4 महीने के बाद जमानत तो मिल गई; परंतु कोर्ट में केस 8 साल तक चलता रहा। एक झूठ को कितना भी रंग लगाकर सत्य बनाने की कोशिश करें, कितने भी धन बल, जन बल और बाहुबल का प्रयोग करें, एक-न-एक दिन तो झूठ को सत्य के सामने झुकना ही पड़े।

JAYA BHARADWAJ: PART-2

The next pawn of the conspiracy "Jaya Bharadwaj" has been advanced to initiate an F.I.R in the Police Station, Kampil on 17th April, 98 with baseless charges of rape so that Spiritual Brother Virendra Deo Dixit can be confined to jail for long as is being seen in the case of Asharam Bapu. Well Spiritual Brother Virendra Deo Dixit has got bail after 4 months; but the case remained unsolved for a period of 8 years . May be the lie is fabricated with different colors; may be the power of Money, manpower, physical strengths are used to their level best to focus as the Truth, a fine day definitely stands ahead when the lie has to bow down before the Truth.

अब जो हुआ, फ़रियाद करने वाली जया भारद्वाज खुद कोर्ट के सामने अपनी ही फ़रियाद से कैसे मुकर गई, वह फर्रुखाबाद अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के शब्दों में ही समझना उचित होगा। उनकी जजमेंट में दी हुई बातों को ज्यों के त्यों यहाँ पेश करना ठीक रहेगा।

Now as to what has happened; how the complainant woman "Jaya Bharadwaj" has taken a "U" turn from her own complaint; simply gets reflected in the judgment of the Honorable District and Sessions Judge, Farrukhabad; A few extracts to the relevant extent are reproduced below.

'' न्यायालय- अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, फर्रुखाबाद।

सत्र परीक्षण सं.17/2000

राज्य प्रति- 1. वीरेंद्र देव दीक्षित, 2. रवींद्र नाथ दास, 3. शांता कुमारी

अपराध संख्याः 48/98 : धाराः 376, 506, 120 बी-- भा.दं.सं. थाना कंपिल ।

जिला फर्रुखाबाद ।

सत्र परीक्षण सं.237/2001 *अपराध संख्याः 48/98*

धाराः 376, 376 ग व 114 भा.दं.सं. थाना कंपिल ।

राज्य प्रति- 1 . महेंद्र पटेल, 2 . कमला देवी, 3 . वीरेंद्र देव दीक्षित, 4 . शांता कुमारी, 5 . रवींद्र नाथ दास

निर्णय :

पृष्ठ-1 पैरा-1

प्रस्तुत प्रकरणों में, सत्र परीक्षण सं.17/2000 राज्य प्रति वीरेंद्र देव दीक्षित आदि में अभियुक्त गण वीरेंद्र देव दीक्षित, रवींद्र नाथ दास और शांता बहन को धाराः 376, 506, 120 बी-- भा.दं.सं. के अंतर्गत परीक्षित किए जाने हेतु, थाना कंपिल की पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पृष्ठ-2

संक्षेप में अभियोजन कथन इस प्रकार है कि दिनांक 17-04-98 को वादिनी जया ने एक लिखित तहरीर दी।

पृष्ठ-6

प्रस्तुत मामले में अभियोत्री वादिनी जया भारद्वाज द्वारा बलात्कार की एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की लिखाई गई है कि जिसके अनुसार बाबा वीरेंद्र देव ने उसके साथ बलात्कार किया है और अभियुक्त शांता, महेंद्र ड्राइवर, रवींद्र एवं कमला दीक्षित ने इस बलात्कार में सहयोग किया । इस रिपोर्ट के अंत में यह भी कहा है कि अभियुक्त रवींद्र दास ने भी उसके साथ बलात्कार किया है ।

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में, एकमात्र साक्षी संख्या 1 जया भारद्वाज को पेश किया है ।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए अग्रसारित प्रार्थना-पत्र पर साक्षी गण दशरथ पटेल, कैलाश चंद्र, चतुर्भुज गुप्ता, डॉक्टर अशोक पाहूजा और रोशनलाल को साक्ष्य से उन्मोचित किया गया है ।''

<u>हमें कुछ कहना है-</u>

जया भारद्वाज द्वारा अपने ही बयान से मुकर जाने वाली बात सुनते ही उन्हीं षड़यंत्रकारियों ने कहीं अपनी पोल-पट्टी खुल न जाए इस डर से अपना-2 नाम साक्षी गण से हटवा लिया था।

इसके अलावा, न्यायाधीश की ऊपर कही हुई बातें देखने से यह भी पता चलता है कि जया भारद्वाज से रवींद्रनाथ का नाम लिखवाने की सोच षड़यंत्रकारियों की बुद्धि में पहले नहीं आई थी। पूरी रिपोर्ट में रवीन्द्रनाथ दास के खिलाफ कोई भी ख़ास आरोप नहीं था; किन्तु रिपोर्ट लिखवाते-2 अंत में रवींद्रनाथ को भी अभियुक्तगण में शामिल कर जेल में डलवाने की दुष्ट मंसा से प्रेरित होकर वादिनी द्वारा रवीन्द्रनाथ का नाम जोड़ा गया था।

अब आगे बढ़ेंगे, जिला जज ने क्या कहा, यह देखने !

"पृष्ठ-6

डॉक्टरी रिपोर्ट से अभियोजन पक्ष को कोई बल नहीं मिला।

पृष्ठ-7

अभियोजन साक्षी सं. 1 जया भारद्वाज ने शपथपूर्वक मुख्य परीक्षा के दौरान अपने बयान में कहा है कि मार्च, 97 में आश्रम में रहने के दौरान उसे किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हुई। उसे शांता बहन, महेंद्र, रवींद्र दास और कमला दीक्षित, बाबा वीरेंद्र देव के कमरे में पकड़ कर नहीं ले गए और न बाबा वीरेंद्र देव ने उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बुरा काम किया। उसके साथ रवींद्र दास ने भी बलात्कार नहीं किया, न ही कोई यौन शोषण किया। इस साक्षी को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के द्वारा पक्षद्रोही हॉस्टाइल घोषित कर प्रति परीक्षा की गई।

प्रति परीक्षा के दौरान उस जया ने कहा कि आश्रम में रहने वाले कुछ लोगों के बरगलाने के कारण मैंने यह दरखास्त दी थी और इसने अपनी रिपोर्ट में बाबा वीरेंद्र देव और रवींद्र नाथ द्वारा बलात्कार करने की झूठी बात लिखा दी थी। इन लोगों ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया था।

पृष्ठ-8

इस साक्षी को धारा 164 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत दिए गए बयान पढ़कर सुनाए गए तो उसने कहा कि यह बयान उसने पुलिस वालों के दबाव में दिया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि कंपिल आश्रम में दो ग्रुप थे और पुलिस वालों और विरोधी ग्रुप के दबाव में आकर इस साक्षी ने यह कार्यवाही की थी।

पृष्ठ-10

अत: संक्षेप में उपरोक्त विवेचना से इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के संबंध में एकमात्र अभियोजन साक्षी सं. 1 जया भारद्वाज को पेश किया है। इस साक्षी ने शपथ पर अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

पृष्ठ-10,11

<u>आदेश-</u>

अभियुक्ता शांता कुमारी को भा.दं.सं. की धारा 120 बी और 506 और अभियुक्त गण वीरेंद्र देव और रवींद्र दास पर भा.दं.सं. की धारा 376, संगठित धारा 34, 120 बी और 506 और अभियुक्ता शांता कुमारी और कमला देवी को भा.दं.सं. की धारा 114/376 और अभियुक्त गण महेंद्र पटेल, वीरेंद्र देव, रवींद्र दास को भा.दं.सं. की धारा 376/34 और 376 ग/34 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

10-03-2006 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, फर्रुखाबाद। ''

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 'विरोधी दल' ने ऐसी प्रथम और घृणित शिकायतकत्री जया भारद्वाज के झूठे आरोपों को मिर्च-मसाला लगाकर सत्य साबित करने, हवा देने के लिए कोर्ट में साक्षी बनकर अपने-2 नामों को लिखवाया और बाद में पीछे हट गए। उनको यह पता चल गया कि जया भारद्वाज ने अपनी गलती का एहसास कर लिया है और वह कोर्ट में सत्य को उगलने ही वाली है। अगर अपने नामों को नहीं हटवाएँगे तो खुद ही फँसेंगे और भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित को आगे भी फँसाने का मौका नहीं मिलेगा।

इस केस से संबंधित कोर्ट जजमेंट के कुछ मुख्य भाग इसके साथ जुड़े हुए हैं|

अब आगे बढ़ते हैं तारा देवी के प्रकरण की ओर :-

<u>In the Court of Upper District and Sessions Judge, Court No.1, Farrukhabad.</u>

<u>Cross Examination No. 237/2001</u>

State vs. 1. Mahendra Patel 2. Kamla Devi Dixit 3. Virendra Deo Dixit 4. Shanta Kumari. 5. Ravindranath Das.

Crime No. 48/98 Sections 376, 376B, 114 of the Indian Penal Code, Police Station Kampil. District Farrukhabad.

“ORDER”

Page-1 Para 1

In the present contexts, cross examination No. 17/2000; A charge sheet has been submitted by the Police Station, Kampil under sections 376, 376B, 114 of the Indian Penal Code in respect of Virendra Deo Dixit, . Shanta Kumari and Ravindranath Das.

Page-2

In brief, the story of the prosecution is that the complainant Jaya has submitted a written report on 17th April, 98.

Page-6

In the present context, the written report of the complainant Jaya Bharadwaj states that Baba Virendra Deo Dixit has raped her and the accused Shanta, Mahendra Driver, Ravindra and Kamala Dixit has assisted. At the end of the report, it was also said that the accused Ravindra Das has also raped her. In support of the prosecution, only one witness No. 1 Jaya Bharadwaj was produced.

At the request of the prosecution, the witnesses Kailash Chandra, Chaturbhuj Gupta, Dr. Ashok Pahuja and Roshanlal were discharged from the witnesses.

Now let us be with you in a few words:

The same conspirators on hearing about "Jaya Bharadwaj" having realized her mistake and become hostile, were left with no way out other than requesting the court to free them from being witnesses to the false rape allegations for the fear of their conspiracy coming into light. Apart from this, the words of the District & Sessions Judge throw abundant light that "Jaya Bharadwaj" had no initial thought of complaining against Ravindranath Das, but in order to further litigate the matter the "Opposition Group" has found pleasure in getting the name of Ravindranath Das also. In result and under their direction, she has made an extra addition of the name of Ravindranath Das at the end of the F.I.R. Let us proceed further to see what the District judge has commented.

Page-10

Hence, in view of the above findings, I have come to the conclusion that the one and only one witness P.w.1 Jaya Bharadwaj was produced by the prosecution in

connection with the incident. This witness has not supported the arguments of the prosecution under oath.

Page-11

The following accused are freed from allegations made under sections 120 B and 506 against Shanta Kumari, sections 376/34, 120 B/34 and 506 against the accused Virendra Deo and Ravindra Das, sections 114/376 against the accused Shanta Kumari and Kamala Devi and sections 376/34 and 376 Ga/34 against Mahendra Patil , Virendra Deo and Ravindranath Das.

10-03-2006 Upper District and Sessions Judge, Court No-1, Farrukhabad.

Nothing is to be wondered as to why the "Opposition Group" has come forward to stand as witnesses to add air to the already ignited foremost malicious complainant "Jaya Bharadwaj" and as to why they have to again adapt the technique of withdrawing from being witnesses. Simple; Jaya Bharadwaj has also realized the blunder committed by her and decided herself to flush out the truth in the court. If not withdrawn, they themselves get trapped for the offence and in addition lose a chance to further strengthen their trap against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and Ishwariya Family in their future conspiracies. Some important extracts from the judgment are annexed in continuation. And let us advance towards the episodes of Tara Devi.

मु० अ० सं० 48/98 धारा 376/120 B I.P.C.
कोतवाली फ०-बाद

(6)

6

पुलिस प्रपत्र संख्या 341

पु० द्वितीय सूची : प्रतिलिपि

न्यायालय/थाने/कार्यालय के लिये — पृष्ठ संख्या

प्रथम सूचना का रिपोर्ट — पृष्ठ संख्या

दण्ड विधि-संग्रह की धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य अपराध की प्रथम सूचना.

थाना— कोतवाली

सर्किल— कोतवाली

जिला— फर्रुखाबाद

संख्या— 39/98

C 463233

घटना का दिनांक व समय— 26 मार्च 1997 समय [illegible]

दिनांक व समय जब रिपोर्ट की गई	अधिकारी का नाम, पिता और पुलिस थाने से दूरी	पुलिस स्टेशन से चलने का दिन
17.4.98 समय 6.30 AM	[illegible]	[illegible]

नोट—प्रथम सूचना में अर्जी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होना चाहिए और इसकी प्रति सत्यापित किये जाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिये ।

सूचना देने वाले या अर्जी का नाम व पता	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध व लूटी गई सम्पत्ति (यदि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण	तहकीकात के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही और सूचना के दर्ज करने में देरी का कारण	परिणाम
1	2	3	4	5
[illegible]	[illegible]	[illegible] 376/120 B IPC	[illegible]	[illegible]

प्रथम सूचना पृष्ठ संख्या में लिखी जानी चाहिये । /0

हस्ताक्षर

सूचना देने वालों का हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा लिखे गये या बताये गये [illegible]

[illegible]

-: फोलियो :-

5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES निरस्त

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना-पत्र देने की तारीख Date on which application is made for copy accompaned by the requiste stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy.
7 20.3.06 Rs. 4 Copies Judges File CMA 13/3000	22-3-06	29-3-06	Sd/- 29-3-06

A. K. SHARMA, Advocate, Distt. Court, Hoshangabad

10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES निरस्त

2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES निरस्त

A. K. SHARMA, Advocate, Distt. Court, Hoshangabad

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0 1 फर्रुखाबाद

उपस्थित- श्री नीरज कुमार सिंघल . . . . एच0जे0एस0

सत्र परीक्षण संख्या-17/2000

राज्य

प्रति

1- वीरेन्द्र देव दीक्षित
2- रविन्द्र दास
3- शान्ता बहन

मु0अ0सं0 48/98
धारा 376,506 व 120बी भा0दं0सं0
थाना कम्पिल
जिला- फर्रुखाबाद

एवं

सत्र परीक्षण संख्या- 237/2001

राज्य

प्रति

1- महेन्द्र पटेल
2- कमला देवी
3- वीरेन्द्रदेव दीक्षित
4- शान्ता कुमारी
5- रवीन्द्र नाथ दास

क्रि0वि0नं0-359/98
मु0अ0सं0-48/98
धारा 376,376गव114 भा0दं0सं0
थाना-कम्पिल
जिला- फर्रुखाबाद

निर्णय
=====

प्रस्तुत प्रकरणों में सत्र परीक्षण संख्या 17/2000 राज्य प्रति वीरेन्द्र देव आदि में अभियुक्तगण वीरेन्द्र देव दीक्षित, रवीन्द्र दास व शान्ता बहन को भा0दं0सं0 की धारा 376,506 व 120 भा0 दं0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित किये जाने हेतु थाना कम्पिल की पुलिस द्वारा आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं सत्र परीक्षण संख्या 237/01

राज्य प्रति महेन्द्र पटेल आदि में अभियुक्तगण महेन्द्र पटेल, कमलादेवी दीक्षित, वीरेन्द्र देव दीक्षित शान्ता कुमारी व रवीन्द्रनाथ दास को भा०दं०सं० की धारा 376, 376ग 7114 के अन्तर्गत परीक्षित किये जाने हेतु विशेष अनुसन्धान अपराध शाखा द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया गया है और उक्त दोनों सत्र परीक्षण वाद क्रमश: दिनांक 24.12.99 एवं दिनांक 30.07.01 के आदेश से सत्र सुपुर्द होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुए हैं।

चूंकि उपरोक्त दोनों एक ही घटनाक्रम से संबंधित हैं। अत: उक्त दोनों सत्र परीक्षण को दिनांक-21.01.06 के आदेशानुसार समाहित किया गया है, तदनुसार दोनों सत्र परीक्षण का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

संक्षेप में अभियोजनकथन इस प्रकार है कि दिनांक 17.4.98 को वादिनी ... ने एक लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 संक्षेप में इस प्रकार दी कि मार्च 1997 को एन०एस०सलंकी अपनी भाभी के साथ वादिनी के घर स्थित 2779 दिलशाद गार्डन में आकर ब्रह्मा, विष्णु महेश के बारेमें कुछ ज्ञान की बातें बतायी। इस पर विश्वास कर उसके साथ दिल्ली स्थित केन्द्र विजय विहार ज्ञान प्राप्ति के लिए गयी। कुछ दिन रहने के बाद वहाँ की कमला भमी नाम की संचालिका अपनी गाड़ी से उसे कम्पिल ले आयी। वहाँ पर कई कन्यायें व मातायें थी। वहाँ तीन चार दिन रहने के बाद वादिनी को वहाँ का माहौल अच्छा नही लगा। वहाँ के रहने वाले लोगो को आश्रम से बाहर नही निकलने दिया जाता था। उन्ही दिनो रात के अंधेरे में वहाँ रहने वाली कुछ कन्याओं द्वारा को

गन्दी हालत के संस्था में खराब बातों को वादिनी ने सुना, जिससे वादिनी का सर चकराने लगा । उसी दौरान वादिनी पानी पीने नीचे किचन में गयी तो वहाँ पास के कमरे से उसे हँसने की आवाज सुनायी दी । जिसे देखने के लिए वादिनी ने उक्त कमरे का दरवाजा ठेल दिया, जो अन्दर से बन्द नही था । वादिनी ने देखा कि वीरेन्द्र दीक्षित (संस्था का संचालक) पूर्णतः नग्न लेटा था व एक कन्या वहाँ बेहोश पड़ी थी एवं वहाँ पर शान्ता, महेन्द्र, डूंगरवर, रवीन्द्रदास एवं कमला दीक्षित भी मौजूद थी । इन लोगों ने वादिनी को एक दम जकड़ लिया वादिनी द्वारा छूटने का पूरा प्रयास किया लेकिन वह छूट नहीं पायी और वादिनी का मुँह दबाकर उसके साथ बलात्कार किया गया, जिससे वादिनी बेहोश हो गयी । सुबह जब होश आया तो वह माताओं वाले कमरे में अपने बिस्तर पर थी । वादिनी किसी को भी कुछ बताने में असमर्थ थी। यह घटना दिनांक 20 मार्च 1997 की थी । वादिनी द्वारा यह भी अपनी तहरीर में लिखा गया कि आध्यात्मिकता के नाम पर नारी यौन शोषण वहाँ पर होता है । वहाँ की कन्याओं को घर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे अपनी गलतियों को लिखकर व हस्ताक्षर कर दें (जिसे पोतामेल कहते हैं) वादिनी ने भी अपने गलतियों को लिखकर दिया । इसी दौरान वादिनी के साथ कई-2 बार बलात्कार किया गया । इसी दौरान वादिनी द्वारा सोसल वर्कर की जागृति उत्पन्न हुई और वीरेन्द्रदेव व उक्त संस्था के खिलाफ प्रमाण एकत्रित करने शुरु कर दिये और यह

प्रार्थना-पत्र वादिनी द्वारा ~~अभियुक्तगण के विरुद्ध~~ कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत किया गया। वादिनी द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र के आधार पर प्रदर्श क-2 मुकदमा कायम किया गया। विवेचना के दौरान विवेचक ने वादिनी का धारा 164सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत बयान प्रदर्श क2ए अंकित ~~किया~~ कराया गया/ मामले का इन्द्राज प्रदर्श क-3 जी0डी0 में अंकित किया गया। विवेचक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-4 तैयार किया व वादिनी का डाक्टरी परीक्षण कराकर उसकी चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क-6 प्राप्त की व विवेचक द्वारा घटना सही होने पर व विशेष अनुसंधान ~~अपराध~~ शाखा द्वारा मामला सही पाये जाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रदर्श क-7 व प्रदर्श क-8 आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किये

अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थित आने पर अभियुक्तगण वीरेन्द्र देव व रवीन्द्र दास पर भा0दं0सं0 की धारा 376/34, 120बी/34 व 506 के आरोप व अभियुक्ता शान्ताकुमारी पर भा0दं0सं0 की धारा 120बी व 506 के अन्तर्गत आरोप सत्र परीक्षण सं0 17/2000 में व अभियुक्तगण महेन्द्र पटेल, वीरेन्द्र देव रवीन्द्र नाथ दास पर भा0दं0सं0 की धारा 376/34 व 376ग भा0दं0सं0 में व अभियुक्ता कमला देवी व शान्ताकुमारी पर भा0दं0सं0 की धारा 114/376 का आरोप सत्र परीक्षण संख्या 237/2001 में विरचित किये गये। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये उन्होंने आरोपों से इन्कार किया गया और परीक्षण की मांग की। अतः उनका विचारण परीक्षण किया गया।

उक्त आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में मात्र एक साक्षी पी0डब्लू0 1 बयान आरजू को

साक्ष्य हेतु पेश किया गया है ।

अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के बाद अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें उन्होंने अपने बयानों में कहा है कि इस मामले में गलत रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और अभियोक्त्री की ओर से गलत साक्ष्य दाखिल किया गया है तथा यह मुकदमा गलत चला है । इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण की तरफ से एक लिखित बयान भी 97ए/2 दाखिल किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि माउन्ट आबू संस्था से बाबा बीरेन्द्र देव से मतभेद होने के कारण कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद में अलग से संस्था बनायी, जिससे माउन्टआबू वाले नाराज हो गये और उनके ऊपर संस्था बन्द करने हेतु दबाव डालने लगे । इस संस्था में मुकदमा कायम हुआ और अशोक आहूजा चतुर्भुज अग्रवाल रामप्रताप से मिलकर झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई और अधिकारियों से मिलकर उसके विरुद्ध झूठा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये है ।

अभियुक्तगण की ओर से सूची 98ए से एक पत्र 98बी/2 लगायत 98बी/3, सूची 98बी/4 से 98बी/5 लगायत 98बी/12 अभिलेख सूची 98बी13 से 98बी/14 लगायत 98बी/26 अभिलेख, 98बी/27 सूची से 98बी/28 लगायत 98बी/27, सूची 98बी/27 से 98बी/28 98बी/39 सूची 98/40 से 98बी/41 लगायत 98बी/46, सूची 98बी/47 से 98बी/48 लगायत 98बी/51, सूची 98 बी/52 से 98बी/53 लगायत 98बी/56, सूची 98बी/57 से 98बी/58 लगायत 98बी/60 एवं सूची 98बी/61 से 98बी/62 लगायत 98बी/64 अभिलेख दाखिल किये गये है ।

प्रस्तुत मामले में अभियोत्री जया भारद्वाज द्वारा एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की लिखायी गयी है कि बाबा वीरेन्द्रदेव ने उसके साथ बलात्कार किया है और अभियुक्त शान्ता, महेन्द्र ड्राइवर, रवीन्द्र एवं कमला दीक्षित ने इस बलात्कार में सहयोग किया । इस रिपोर्ट के अन्त में यह भी कहा है कि अभियुक्त रवीन्द्रदास ने भी उसके साथ बलात्कार किया है ।

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में एक मात्र साक्षी संख्या-1 जया भारद्वाज को पेश किया गया है ।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रसारित प्रार्थना-पत्र पर साक्षीगण दशरथ पटेल, कैलाशचन्द्र, चतुर्भुज गुप्ता, डाक्टर अशोक आहूजा व रोशनलाल को साक्ष्य से उन्मोचित किया गया है । अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोगिनी के साक्ष्य में अभियोत्री की डाक्टरी रिपोर्ट प्रदर्श क-6 दाखिल की गयी है । प्रदर्श क-6 ~~पर कोई~~ में कोई अन्तिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है और यह कहा है कि अन्तिम निष्कर्ष पूरक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दिया जायेगा, लेकिन पत्रावली पर कोई पूरक रिपोर्ट या बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित रिपोर्ट दाखिल नहीं की गयी है अतः प्रदर्श क-6 डाक्टरी रिपोर्ट से अभियोजन पक्ष को कोई बल नहीं मिलता है ।

अब पत्रावली पर केवल जया भारद्वाज की मौखिक साक्ष्य ही रह जाता है । यह साक्षी इस प्रकरण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्षी है । यह साक्षी वादिनी होने के साथ साथ पीड़िता भी है । अभियोजन पक्ष की ओर से इस साक्षी के साथ बलात्कार किये जाने की बात कही

गयी है । अभियोजन साक्षी सं0 1 ज्ञा भारत शपथपूर्वक मुख्य परीक्षा के दौरान अपने बयान मे कहा है कि विनय विहार संस्था के संचालक कमला मानी से मिली । वहाँ से यह लोग आध्यात्मिक विश्व विद्यालय कम्पिल आये । वहाँ पर उसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया । आश्रम मे बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित, रवीन्द्रदास, शान्ता बहिन, महेन्द्र कमला दीक्षित ज्ञान देने वालो व आश्रम की व्यवस्था मे लगे थे । मार्च 97 में आश्रम मे रहने के दौरान उसे किसी तरह की कोई असुविधा नही हुई । उसे शान्ता बहिन, महेन्द्र, रवीन्द्रदास व कमला दीक्षित बाबा वीरेन्द्रदेव के कमरे मे पकड़कर नही ले गये और न बाबा वीरेन्द्रदेव ने उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बुरा काम किया । उसके साथ रवीन्द्रदास ने भी बलात्कार नही किया न ही कोई यौन शोषण किया । इस साक्षी ने कागज संख्या 4क/3 तहरीर पढ़कर देखकर कहा कि यह वही दरख्वास्त है जो पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद को दी गयी थी यह उसके लेख व हस्ताक्षर मे है । इस साक्षी को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर प्रति परीक्षा की गयी । प्रति परीक्षा के दौरान जब इस साक्षी को तहरीर प्रदर्श क-1 पढ़कर सुनायी गयी तो उसने कहा कि उसने आश्रम मे रहने वाले कुछ लोगो के बहकाने के कारण दरख्वास्त दी थी व इसमे अपनी रिपोर्ट में बाबा वीरेन्द्र देव व रवीन्द्र दास द्वारा बलात्कार करने की बात लिखा दी थी । इन लोगो ने उसके साथ बलात्कार नही किया था ।

दारोगाजी ने इस घटना के संबंध में उससे कोई पूछ ताछ नहीं की थी जब इस साक्षी को धारा 161 सीआरपीसी का बयान पढ़कर सुनाया गया तो इसने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान दरोगाजी को नहीं दिया, कैसे लिखा गया, उसको कुछ नहीं बता सकी है। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 4.4.99 को विशेष अपराध अनुसंधान शाखा के कोई दरोगा उसे नहीं मिले थे न ही किसी दरोगा ने उससे कोई पूछ ताछ की थी जब इस साक्षी को धारा 161 सीआरपीसी का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि यह बयान उसने नहीं दिया था, वैसे लिखा दिया। इस साक्षी को धारा 164 सीआरपीसी के अन्तर्गत दिये गये बयान पढ़कर सुनाये गये तो उसने कहा कि यह बयान उसने पुलिस वालों के दबाव में दिया था। उसे मजिस्ट्रेट साहब ने बयान पढ़कर नहीं सुनाया था, उसके हस्ताक्षर करा लिये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि यह बात सही है कि कैम्पस आश्रम में दो गुट थे। पुलिस वालों व विरोधी गुट के दबाव में आकर इस साक्षी ने कार्यवाही की थी। उसका यह भी कहना है कि उसे नहीं मालूम कि मजिस्ट्रेट द्वारा उसका शपथपूर्वक बयान लिया जा रहा है। विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रति परीक्षा के दौरान इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने धारा 161 सीआरपीसी का कोई बयान न तो विवेचक को दिया है और न ही विशेष अपराध अनुसंधान शाखा को भी कोई बयान नहीं दिया। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने यह भी कहा है कि धारा 164 सीआरपीसी के अन्तर्गत जो बयान मजिस्ट्रेट

को दिया था ; वह उसे पढ़कर सुनाया नहीं गया था । इस तरह, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने धारा 161 व 164 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत दिये गये बयानों का खण्डन किया है । विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता इस साक्षी की प्रति परीक्षा में कोई ऐसी बात नहीं निकाल पाये है, जिसका कोई लाभ अभियोजन को दिया जा सके ।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस साक्षी से प्रति परीक्षा की । प्रति परीक्षा के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि उसने किसी पुलिस अधिकारी को मौका मोआयना नहीं कराया था आश्रम में बहुत से पुरुष व महिलाये रहती है । कौम्पल आश्रम से उसे कोई शिकायत नहीं है । उसका यह भी कहना है कि विरोधी गुट के कारण यह सब कार्यवाही की गयी थी । इस तरह से पी0डब्लू0 1 ज्ञान भारद्वाज जैसे महत्वपूर्ण साक्षी ने प्रति परीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि यह सब जो कार्यवाही की गयी थी, वह केवल विरोधी गुट के कारण की गयी थी और उसने मौके का निरीक्षण किसी पुलिस अधिकारी से नहीं कराया था । इस तरह से इस साक्षी के बयान से स्पष्ट होता है कि विवेचक द्वारा जो मामले की विवेचना की गयी है वह अपने विवेक से भली की गयी है और यह भी स्पष्ट होता है कि बाद में जो कार्यवाही की गयी है, वह विरोधी गुट के कारण की गयी है । अन्य कोई साक्षी अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

अतः संक्षेप में उपरोक्त विवेचना से मै इस निष्कर्ष पर

पहुँचा हूँ कि अभियोजन पक्ष की ओर से धारा के संबंध में एक मात्र अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्यामा भारद्वाज को पेश किया गया है । यह साक्षी पीड़िता होने के साथ-2 इस प्रकरण की वादिनी भी है । इस साक्षी ने स्पष्ट पर अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है । इस साक्षी के बयान से यह बात साबित नहीं होती है कि अभियुक्तगण बाबा बीरेन्द्र देव रवीन्द्रदास ने उसके साथ बलात्कार किया है और अभियुक्तगण ने वादिनी को जान से मारने की धमकी दी हो । अभियोजन साक्षी संख्या 1 के साक्ष्य से यह भी साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण कमलादेवी व शान्ताकुमारी ने वादिनी श्यामा भारद्वाज के साथ बलात्संग करने के लिए दुष्प्रेरित किया था । इस तरह से अभियोजन पक्ष अभियुक्ता गण कमलादेवी व शान्ताकुमारी के विरु भा0द0सं0 की धारा 114/376, अभियुक्ता शान्ता कुमारी के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 120 बी व 506, अभियुक्तगण महेन्द्र पटेल, बीरेन्द्र देव व रवीन्द्रनाथदास पर भा0द0सं0 की धारा 376/34 व 376ग/34 व अभियुक्तगण बीरेन्द्र देव व रवीन्द्र दास व भा0द0सं0 की धारा 376/34, 120/34व 506 के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहे है अत: अभियुक्तगण उक्त धाराओं के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों से दोष मुक्त होने योग्य है ।

आदेश
=====

अभियुक्ता शान्ता कुमारी को भा0द0सं0 की धारा 120 बी, व 506 व अभियुक्तगण बीरेन्द्र देव रवीन्द्र दास पर भा0द0सं0 की धारा

-1(43)

376 सपठित धारा 34, 120बी/34 व 506 व अभियुक्ता शान्तिकुमारी व कमलादेवी को भा०दं०सं० की धारा 114/376 व अभियुक्त गण महेन्द्र पटेल, वीरेन्द्र देव व रवीन्द्रनाथ दास को भा०दं०सं० की धारा 376/34व 376ग/34 के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके निजी बन्ध-पत्र निरस्त किये जाते है तथा जमानत नामे निरस्त कर जमानतदारों को उनके उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 237/2001 की पत्रावली मे रखी जाये।

10/3/2006
(निरंजन कुमार सिंगल)
अपर सत्र न्यायाधीश
फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1
फर्रुखाबाद

दिनांक 10.3.06,

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

10/3/2006
(निरंजन कुमार सिंगल)
अपर सत्र न्यायाधीश
फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1
फर्रुखाबाद

दिनांक 10.03.06

प्रमाणित प्रतिलिपि
22-3-06